संख्या- 1621 /78-1-2016-123आई0टी0/2016

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ ।

आई.टी. एवं इलेक्टानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

विषयः पूर्व प्रख्यापित उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (EMC) की स्थापना, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम निवेश को आकर्षित करने, राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और विकसित करने तथा प्रादेशिक सकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.) में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गई थी।

2- उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के प्रस्तर 4.9 के अन्तर्गत निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

3- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करणों के प्रारूप को एकरूप करते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2014 के हिन्दी संस्करण का प्रस्तर 4.3 निम्नवत् संशोधित समझा जाये:-

"4.3 स्टाम्प ड्यूटी

इलेक्ट्रानिक्स मैन्युक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना हेतु भूमि के क्रय करने/ पट्टे पर लेने पर, स्टैम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।"

4- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत निवेशक इकाईयों को प्रोत्साहनों की प्राप्ति हेतु दो विकल्प उपलब्ध होंगे जोकि निम्न तालिका के अनुसार अनुमन्य होंगेः-

प्रस्तर क्रमांक	"उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2014" में उपलब्ध प्राविधान/प्रोत्साहन का विवरण	कृत संशोधन/अतिरिक्त प्राविधान(इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की ई.एस.डी.एम.इकाइयों हेतु)	
		विकल्प-1 वर्तमान प्राविधान	विकल्प-2 (केवल रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर)
4.1	**पूंजी उपादान** भूमि के अतिरिक्त स्थिर पूंजी पर, रू 5 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूंजी उपादान, अनुमन्य होगा।	नीति में यथाप्राविधानित	अनुमन्य नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	• यह उपादान इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर की इकाइयों को तथा वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा मूल्यांकित पूंजी पर ही अनुमन्य होगा। • यह उपादान प्रथम 10 इकाइयों को ही, उनके व्यवसायिक कार्यचालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि से अनुमन्य होगा।		
4.2	**ब्याज उपादान** बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।	नीति में यथाप्राविधानित	अनुमन्य नहीं
4.3	**स्टाम्प इयूटी** इलेक्ट्रानिक्स मैन्युक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना हेतु भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर, स्टैम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।	नीति में यथाप्राविधानित	नीति में यथाप्राविधानित
4.4	पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन डैडम् इकाईयों में ही शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 1,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु0 5,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	नीति में यथाप्राविधानित	अनुमन्य नहीं
4.5	वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूंजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक VAT/CST की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति। यह उपादान वाउचर योजना पर आधारित	वैट/ केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूंजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक VAT/CST की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।	भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूंजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 200 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले हो, VAT/CST की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	होगी। ये वाउचर हितार्थी को जारी किये जायेंगे जो इन वाउचर की प्रस्तुति के माध्यम से उनके VAT/CST का प्रतिदान प्राप्त कर सकेंगे।		
4.6	**भूमि हेतु प्राविधान** इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, एस.पी.वी. अथवा EMC के अन्दर स्थित कम्पनियों को सरकारी अभिकरणों (State agencies) से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।	नीति में यथाप्राविधानित	नीति में यथाप्राविधानित
4.7	ई.एम.सी. अवस्थापना सुविधायें ई.एम.सी. की स्थापना हेतु सामान्य सुविधाओं (सड़क, बिजली, जल, ई.टी.पी., परीक्षण सुविधाओं, सामाजिक अवस्थापना इत्यादि) के विकास पर हुए व्यय के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त उपादान का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। यह उपादान राज्य में प्रथम तीन इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हेतु प्रदान किया जायेगा। टिप्पणी: उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहन ई.एम.सी. में स्थापित होने वाली ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (recycling units) को भी अनुमन्य होंगे।	नीति में यथाप्राविधानित	नीति में यथाप्राविधानित
4.8	औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान वर्तमान ईएसडीएम इकाइयों द्वारा तीन वर्ष की अवधि में विद्यमान क्षमता के 25 प्रतिशत या अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी निवेश पर, नई इकाइयों (ई.एम.सी. में) के लिए अनुमन्य प्रोत्साहनों के 50 प्रतिशत के समतुल्य औद्योगिक प्रोत्साहन उपादान। • यह उपादान प्रथम 10	नीति में यथाप्राविधानित	अनुमन्य नहीं

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	इकाइयों को ही, उनके व्यवसायिक कार्यचालन की तिथि के आधार पर विचार के आधार पर, अनुमन्य होगा।		
4.9	**प्रकरण (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन** रू 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली ESDM इकाइयों को उपरोक्त उल्लिखित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। यह विशेष प्रोत्साहन भूमि तथा ऊर्जा में छूट के रूप में होगा, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा। • फैब इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों की स्थापना भी इस प्रकरण आधारित (केस-टू-केस) प्रोत्साहन के अन्तर्गत सम्मिलित है।	**प्रकरण (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन** • रू 200 करोड़ से अधिक तथा रू 300 करोड़ की सीमा तक के निवेश वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अनुरूप ही विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा • रू 300 करोड़ से अधिक निवेश वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अनुरूप प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त इकाई को विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे जो ई.पी.एफ आदि की प्रतिपूर्ति, एवँ भूमि, ऊर्जा इत्यादि में छूट के रूप में होंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा। • फैब इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों की स्थापना भी इस प्रकरण आधारित (केस-टू-केस) प्रोत्साहन के अन्तर्गत सम्मिलित है।	इस स्तम्भ में जैसाकि उपरोक्त प्रस्तर 4.3, 4.5, 4.6 तथा 4.7 से प्रस्तावित है
4.10	**अन्य हितलाभ** इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु वांछनीय कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के साथ जोड़ा जाना जिससे कि योजना के लाभ सुपात्रों को प्राप्त हों। • इस योजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय,	नीति में यथाप्राविधानित	नीति में यथाप्राविधानित

http://shasanadesh.up.nic.in

	भारत सरकार द्वारा आबंटित निधियों से ई.एस.डी.एम. क्षेत्र के अनुरूप कौशल विकास • सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को कार्य की अनुमति • स्टार्ट-अप/उद्यमियों/ अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु पी.पी.पी. आधार पर प्रत्येक ई.एम.सी. में 2 एकड़ क्षेत्र का इन्क्यूबेटर सेन्टर (वार्म शेल) के रूप में विकास • पी.पी.पी. आधार पर प्रत्येक ई.एम.सी. में 2-3 एकड़ क्षेत्र मिनी टूलरूम (MTR) की स्थापना, जिसे सम्बन्धित उत्पादों के लिए भी विस्तृत किया जायेगा।		
4.10	नोटःकिसी भी इकाई को सभी स्रोतों से मिलने वाली वित्तीय रियायतें कम्पनी द्वारा किये गये स्थिर निवेश (Fixed Capital Investment) के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।	नीति में यथा प्राविधानित	नोटःकिसी भी इकाई को सभी स्रोतों से मिलने वाली वित्तीय रियायतें (भूमि के मूल्य में छूट एवं स्टाम्प ड्यूटी की छूट को छोड़कर) कम्पनी द्वारा किये गये स्थिर निवेश (Fixed Capital Investment) के दो गुने से अधिक नहीं होंगे।
नोटः-इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर में स्थापित होने वाली इकाईयों द्वारा दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प के सभी प्राविधानों का पूर्ण चयन करना होगा। इकाई द्वारा दोनों विकल्पों में से प्राविधानों का आंशिक चयन अनुमन्य नहीं होगा।			

4- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 में पूर्व यथाउल्लिखित उत्पादों के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा निर्गत एम-सिप्स गाइडलाईन्स (M-SIPS Guidelines) संख्याः 27(3)/2012-IPHW (Vol.II) दिनांक 24.02.2016 एवं भविष्य में निर्गत होने वाली एम-सिप्स गाइडलाईन्स में दी गयी परिभाषा के अनुसार अनुमन्य होंगे।

5- उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को पूंजी उपादान और ब्याज उपादान के मदों में केस टू केस आधार पर प्रोत्साहनों की अधिकतम वित्तीय सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति तथा सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत किसी भी ऐसी इकाई को, जिनका निवेश रु0 300 करोड़ से अधिक हो, को पूंजी उपादान तथा ब्याज उपादान के मदों मे दी जाने वाली छूट की अधिकतम वित्तीय सीमा को शिथिल करते हुए अन्य मदों में दिये जाने वाले विशेष प्रोत्साहन 'इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी', ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण हेतु अनुदान, एवं भूमि, ऊर्जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इत्यादि तथा अन्य कोई मद, जो सशक्त समिति द्वारा निर्धारित किया जाये, में छूट के रूप में अनुमन्य होंगे।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1621(1)/78-1-2016 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
15- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
18- मिशन निदेशालय, यूपीएलसी, लखनऊ।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।